फर्द अहकाम

मशीरुद्दीन बनाम लोकमणि

इकाम मकबरा शाहपुरा

धारा 107

आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
वमीक वादी उप-। प्रतिवादीगण मे तकरारी जब्ताक तक वमीक वादी ने बलि अवधि रहि है। जिसतरह जाहिर है कि वमील वादी प्रकरण मे रूलि गति रहा है। पूर्व मे वह अवसर उक्त बाबुके ना अतः दावा तकरारी के अभाव मे प्रदत्त वकील 09 R5 CPC मे खारीज किया जाता है। पत्रावली निस्तो हुआ होकर चाबते रहती।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2019.11.11 11:36:10 IST
Reason: SelfAttested